लखनऊ नगर निगम

मा0 कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक दिनांक 31.08.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बाबू राज कुमार श्रीवास्तव कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही :—

उपस्थिति :—

1	श्रीमती संयुक्ता भाटिया	मा0 अध्यक्ष/महापौर
2	श्री अरुण कुमार तिवारी	मा0 उपाध्यक्ष
3	श्री अजय दीक्षित	मा0 सदस्य
4	श्री गिरीश कुमार मिश्रा	मा0 सदस्य
5	श्री मो0 शकील	मा0 सदस्य
6	श्री राज कुमार सिंह	मा0 सदस्य
7	श्री राजेश कुमार मालवीय	मा0 सदस्य
8	श्री राजेश सिंह	मा0 सदस्य
9	श्रीमती रानी कनौजिया	मा0 सदस्य
10	श्रीमती सुनीता सिंघल	मा0 सदस्य
11	श्री सुशील कुमार तिवारी	मा0 सदस्य
12	श्री विजय कुमार गुप्ता	मा0 सदस्य
13	श्री विमल तिवारी	मा0 सदस्य

अन्य उपस्थिति :—

1. नगर आयुक्त
2. अपर नगर आयुक्त (श्री अमित कुमार)
3. अपर नगर आयुक्त (श्री अनिल कुमार मिश्रा)
4. मुख्य अभियन्ता
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
7. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (समिति)
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता
9. समस्त जोनल अधिकारी
10. तहसीलदार/एस0डी0एम0
11. समस्त नगर अभियन्ता
12. उद्यान अधीक्षक(श्री चौरसिया/श्री गौतम)
13. संयुक्त निदेशक (प0क0)
14. मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ
15. महाप्रबन्धक, जलकल
16. सचिव, जलकल
17. कार्यालय अधीक्षक(अधिष्ठान)

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कहा कि आज की मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी को समर्पित है। लखनऊ राजधानी में शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सुशासन और सुविधाओं से जुड़ी नगर निगम की योजनाएं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर हों, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्यादा विषय एजेण्डे में उन्हीं के नामकरण सम्बन्धी हैं। और भी तमाम सुझावों सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन धारण करना होगा।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि बैठक के बाद में दो मिनट का मौन धारण किया जाएगा। पहले एजेण्डे के अनुसार कार्यवाही शुरू की जाती है।

मद संख्या (1) :– पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 की कार्यवाही की पुष्टि। **(परिशिष्ट–1)**

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मैं जानना चाहूँगा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में पेज नं0–3 पर देखें–मा0 अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि ''वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 की आडिट रिपोर्ट (संलग्नक सहित) मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराते हुए अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए''। क्या संलग्नक सहित आडिट रिपोर्ट आयी है ? कार्यवाही के पेज नं0–5 पर देखें– ''अध्यक्ष ने निर्देशित किया था कि आडिट आपत्तियां दूर करते हुए आडिट्स रिपोर्ट अगली बैठक में सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें।'' पूर्व में प्रस्तुत की गयी आडिट्स रिपोर्ट में खामियां थीं।

श्रीमी सुनीता सिंघल ने कहा कि तमाम बार से यही हो रहा है, लेकिन अभी तक आडिट्स रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभी तक क्या कार्यवाही की गयी, मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया जाए ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि कुछ आडिट्स आपत्तियां रह गयी हैं, उनका निस्तारण कराया जा रहा है।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि वर्ष 2015–16 की आडिट्स रिपोर्ट में खामियां थीं, वह भी दूर करके रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी है। पिछली बार भी मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा यही कहा गया था कि हम ऊपर बैठते हैं, सी0ए0 नीचे बैठते हैं, इसलिए प्रतिदिन डाटा फीड नहीं हो पाता है। यह बच्चों जैसे जवाब दिए जाते हैं। आडिट्स रिपोर्ट बैठक में आनी चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो अध्यक्ष जी से बताना चाहिए था। पूर्व बैठक में यह भी कहा गया था कि आडिट्स रिपोर्ट हिन्दी में दी जाए, लेकिन शायद अभी तक हिन्दी में रिर्पोट ट्रान्सलेट नहीं करायी गयी है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि रिपोर्ट फाइनल हो जाए, उसके बाद ही हिन्दी में ट्रान्सलेट करायी जाएगी।

Scanned by CamScanner

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2016–17 की रिपोर्ट 15 अगस्त तक और वर्ष 2017–18 की आडिट रिपोर्ट 31 अगस्त, 2018 तक तैयार हो जाने की बात कही गयी थी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की जो समस्याएं हैं, उनको नजरंदाज न किया जाए। वे अपनी समस्याएं बताएं। यह नगर निगम परिवार है। कोई असुविधा है, व्यवधान है, या जो भी समस्या हो, साफ बताएं। कोई अवरोध हो, तो उसे दूर करने का तरीका बताएं। लेकिन सही स्थिति बताएं। गलत व्यवस्था क्यों दिलवाते हैं। मा0 कार्यकारिणी समिति को हवा में न लीजिए, अन्यथा कार्यवाही हो जाएगी। जो समस्या हो साफ बताइए, नगर आयुक्त जी समस्या दूर करायेंगे।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि टीम लगी हुई है। दिन–रात मेहनत करके आडिट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। आडिटर परीक्षण कर रहे हैं। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा है कि आडिट रिपोर्ट जल्दी दीजिए। वर्ष 2016–17 की रिपोर्ट हमारे पास 10 दिन में आ जाएगी। वर्ष 2017–18 की रिपोर्ट पर भी सी0ए0 काम कर रहे हैं। बैंक से और सभी विभागों से रिकार्ड लेने होते हैं, इसलिए प्रक्रिया में समय लगता है। अभी एक माह का समय लगेगा। वर्ष 2016–17 की आडिट्स रिपोर्ट को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2015–16 की आडिट्स रिपोर्ट को अगर स्वीकार कर लें तो दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हाइली अनियमितताओं की आपत्तियां हैं।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2015–16 की आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि–(1) प्रक्रिया का प्रापर रूप से पालन नहीं हुआ। (2) अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये गये। वर्ष 2016–17 की रिपोर्ट में प्रापर प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि मा0 सदन की बैठक में हमारे तीन प्रश्न थे, तीसरा प्रश्न यह था कि ''क्या नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम की देनदारी (Creditor/Liability) की उम्रवार विश्लेषण(Agening Analysis) सूची नगर निगम के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? नगर निगम में लेखा विभाग में भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या ये सत्य है कि सम्बन्धित अधिकारी अपने विवेक के अनुसार भुगतान करने की प्रक्रिया को अपनाते है ?'' उत्तर था कि '' नगर निगम, लखनऊ की देनदारी की वर्षवार सूची साथ में संलग्न कर भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि धन की उपलब्धता के आधार पर शासन–प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार भुगतान किया जाता है एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा–गम्भीर बीमारी, शादी, शिक्षा आदि एवं धन की उपलब्धता पर क्रमवार भुगतान किया जाता है।''

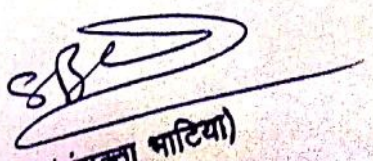

Scanned by CamScanner

"नगर निगम निधि के अन्तर्गत
वर्षवार लेखा विभाग में लम्बित दायित्व

(धनराशि लाख में)

क्र0	मद का नाम	2011-12	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (माह-18 तक)	कुल
1	अभियंत्रण विभाग कार्य	1050.67	400.04	440.89	3922.30	6144.00	4906.33	1231.96	17096.19
2	मार्ग प्रकाश (विद्युत सामग्री)	366.28			676.81	1170.73	1646.77	125.00	3774.69
3	आउटसोर्स (मैनपावर)						397.36		397.36
4	स्टेशनरी						3.24		3.24
5	विज्ञापन एजेंसी						94.98		94.98
6	कार्यालयी स्वच्छता सफाई व अन्य						650.45		650.45
7	वाहनों का किराया						14.41		14.41
8	ईकोग्रीन टिपिंग फीस						51.00		51.00
	योग (ए)	1308.95	400.04	440.89	4599.11	6314.73	7664.56	1356.96	22082.24

नोट : क्रमांक–8 पर ईकोग्रीन की टिपिंग फीस के सापेक्ष माह अक्टूबर–2017 के विरुद्ध रु0 51.00 लाख का दायित्व।"

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि बैलेंस शीट और उत्तर में अन्तर है। जो उत्तर दिया गया है, बैलेन्स शीट से नहीं मिलया गया है, अगर मिलाया गया होता तो गलतियां न होतीं।

नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2015–16 की आडिट रिपोर्ट में उसी वित्तीय वर्ष का विवरण है। आपको जो उत्तर दिया गया है उसमें आज तक की स्थिति है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2015–16 की रिपोर्ट का वर्ष 2016–17 में कैरी फारवर्ड होगा तो श्रीमती सुनीता सिंघल की बात सही है। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी बताएं कि वर्ष 2015–16 की लाइबिलिटी वर्ष 2016–17 में कैरी फारवर्ड होगी कि नहीं होगी।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि कैरी फारवर्ड होगी। लेकिन श्रीमती सुनीता सिंघल के प्रश्न के उत्तर में केवल नगर निगम निधि की ही देनदानी दर्शायी गयी है, अन्य सरकारी विभाग जैसे–उ0प्र0 जल निगम आदि की देनदारी नहीं है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूर्व बैठक की कार्यवाही में पेज नं0–7 पर देखें– "लखनऊ नगर निगम के वार्डो के नये परिसीमन की सीमाओं पर वार्ड का नाम, मा0 महापौर, पार्षद के नाम व मोबाईल नम्बर का बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी थी।" अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि प्रक्रिया चल रही है। निविदा आमंत्रित कराकर बोर्ड लगवाए जाएंगे। तीन माह में बोर्ड लग जाएंगे।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

उपाध्यक्ष ने कहा कि चिनहट वार्ड के गांवों में नाम पट्टिकाएं लगाए जाने का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि लोगों को पता ढूंढने में असुविधा होती है, इसलिए चिनहट वार्ड के गांवों में नाम पट्टिकाएं लगवायी जाएं।

नगर आयुक्त ने कहा कि मेरा अनुरोध हे कि वार्ड विकास संस्तुति राशि से बोर्ड लगवाए जाएं, तो जल्दी बोर्ड लग जाएंगे। कार्य की सुगमता, गुणवत्ता और शीघ्रता के लिए यह अनुरोध किया जा रहा है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अगर वार्ड विकास संस्तुति राशि पर नजर है तो हम लोग यह प्रस्ताव टर्नडाउन करते हैं।

उपाध्यक्ष ने पूछा कि वार्डों में बोर्ड लगवाने पर कितने फण्ड की जरूरत है ?

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि प्रति बोर्ड लागत रु0 12000/— आएगी। एक वार्ड में औसतन चार बोर्ड लगेंगे। इस तरह से लगभग रु0 50.00 लाख की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री गिरीश गिश्रा ने कहा कि इस हेतु पुनरीक्षत बजट में प्राविधान कर लिया जाए। सितम्बर में पुनरीक्षित बजट पास हो जाना चाहिए।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि अक्टूबर में पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वार्ड विकास कार्य भी पुनरीक्षित बजट पर निर्भर हैं, यह भी ध्यान रखा जाए। सितम्बर लास्ट तक पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कीजिए।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि नवम्बर, 2018 तक बोर्ड लगवा दिए जाएं।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पिछली बैठक में ई—आफिस की बात हुई थी। अब तक क्या कार्यवाही हुई ? मेरा अनुरोध है कि जब तक ई—आफिस चालू नहीं होता है तब तक विकास कार्यो सम्बन्धी पत्रावलियां नगर अभियन्ता सीधे नगर आयुक्त से स्वीकृत कराएं, ताकि विलम्ब न हो।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि हमारे पास एक भी पत्रावली पेण्डिंग नहीं है। पत्रावली रजिस्टर पर चढ़कर आएं, हमारे पास कोई पत्रावली पेण्डिंग नहीं रहेगी।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मुख्य अभियन्ता स्तर पर पत्रावलियां लम्बित रहती हैं।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में पेज नं0—11 पर देखें—संकल्प संख्या (69) द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित कनेक्टिंग चेम्बर के लिए की जा रही रोड कटिंग तथा रेस्टोरेशन कार्य की जाँच के सम्बन्ध में उप समिति गठित की गयी थी, जिसमें—क्षेत्रीय पार्षद, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ (श्री एस0के0 जैन), क्षेत्रीय नगर अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ, अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ और क्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता, जलकल विभाग को नामित किया गया था और निर्देश दिये गये

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

थे कि ''उक्त समिति अपनी जाँच रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करे।'' क्या उक्त उप समिति द्वारा जांच की गयी ?

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एक सप्ताह पूर्व कार्यवृत्त प्राप्त हुआ है। अगले हफ्ते जांच की कार्यवाही शुरू होगी।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि समय–सीमा तय कर ली जाए। 15 दिन के अन्दर कार्यवाही हो, जांच की जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि 15 दिन में उप समिति जांच कर ले, सभी नगर अभियन्ता नोट कर लें, जांच रिपोर्ट अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे वार्ड में नाला निर्माण हुआ था, नाला सफाई के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आगणन भी बन चुका है।

नगर अभियन्ता जोन–6, श्री एस0एफ0ए0 जैदी ने अवगत कराया कि आगणन बन गया है। बरसात बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 10 मीटर की लम्बी स्लैब है। स्लैब काट कर नाले की सफाई करायी जाएगी।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि कार्य को समयबद्ध किया जाए।

नगर आयुक्त ने बताया कि तीन–चार माह लग जाएगा।

नगर अभियन्ता जोन–6, श्री एस0एफ0ए0 जैदी ने बताया कि एक जेनरेटर रखेंगे। बीच से स्लैब काटेंगे। कोशिश यह रहेगी कि कम से कम स्लैब खराब हो। इसमें लगभग रु0 15.00 लाख खर्च आएगा।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के पेज नं0–8 पर देखें– कहा गया था कि ''टेण्डर आमंत्रित किए गये थे। कोई टेण्डर नहीं आए। इसमें कई मद और जोड़े गये हैं, अब टेण्डर आएंगे।'' क्या टेण्डर आए ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि 29 अगस्त को टेण्डर आमंत्रित किए गये थे। दो टेण्डर प्रचार वाहन के आए हैं। दो टांगो की होर्डिंग हटवानी पड़ेगी। तब टेण्डर आएंगे।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि होर्डिंग लगाने का कार्य बदस्तूर जारी है। विज्ञापन नियमावली की धारा–12 के अनुसार बिना किसी नोटिस के दो टांग की होर्डिंग हटवा सकते हैं। बिना किसी नियम के होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो क्यों टेण्डर डालेंगे। जब प्रचार एजेन्सियों का काम हो रहा है तो क्यों टेण्डर डालेंगे ।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, श्री अशोक सिंह ने कहा कि दो टांगों की होर्डिंग्स हटवाकर यूनिपोल लगवाए जाएं।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी की दो टांगो की होर्डिंग्स हटवायी जाएं और यूनिपोल लगवाए जाएं।

(सयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि प्रचार विभाग का यही मुख्य स्रोत है, टेण्डर नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति खेदजनक है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि नोटिसें जारी की गयी हैं।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि साब होर्डिंग्स हटवा दी जाएं।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, श्री अशोक सिंह ने कहा कि धनराशि बाकी पड़ी है। धनराशि वसूलनी जरूरी है। नोटिसे जारी की गयी हैं, 15 दिन का समय दिया गया है। डिमाण्ड फिक्स की जा रही है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि सख्ती से कार्यवाही की जाए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि मैट्रो पिलर में साइन बोर्ड आदि लगाकर प्रचार एजेन्सियों द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इनसे शुल्क लिया जाए। जब से प्रचार कर रहे हैं, तब से डिमाण्ड भेजी जाए।'' इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि नोटिस दी गयी थी, पत्र आया है, अनुरोध किया गया है कि ''तीन दिन का समय जवाब देने के लिए और दिया जाए।'' उनका कहना है कि ''केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की अनुमति है। लीगल एडवाइज लेकर जवाब देंगे।'' जब तक बाइलाज नहीं पास हो जाता है, तब तक इनसे अनुज्ञा शुल्क नहीं ले सकते हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि न प्रचार शुल्क ले सकते हैं, न स्थल शुल्क ले सकते हैं, इसीलिए अनुज्ञा शुल्क लेने के लिए बायलाज बनाया जा रहा है, बायलाज बनाना बहुत जरूरी है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि पूर्व की भांति जोनवार कमेटियां गठित कर दी जाएं, इससे लगाम लगेगी। प्रचार, गृहकर, मार्ग प्रकाश, स्वास्थ्य विभाग की कमेटियों का गठन कर दिया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–95 के अन्तर्गत सुपरविजन के लिए किसी भी विभाग की कमेटी गठित कर सकते हैं।

श्री मो0 सगीर ने पुनः कहा कि मेरा प्रबल अनुरोध है कि निगरानी समितियां गठित की जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि भवन कर निर्धारण के सम्बन्ध में नगर निगम जोन–6 कार्यालय में लगभग दो से तीन माह पूर्व 30–40 प्रपत्र लोगों द्वारा जमा किये गये थे, लेकिन अभी तक कर निर्धारण नहीं हुये हैं। जोन–6 कार्यालय में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। पैसे लेकर खुले रूप से कर निर्धारण किया जाता है। पैसे न देने

(सुनीता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

पर लोगों का कर निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही जरूरी है।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि जाँच करायी जाए। जाँच रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्र को उक्त के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया कि जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि स्मार्ट क्लासेस स्कूल में बनने थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

नगर अभियन्ता जोन–6 श्री एस0एफ0ए0 जैदी ने अवगत कराया कि 14वें वित्त आयोग में दो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाने की व्यवस्था की गयी है। आवास विकास परिषद के पास स्थित चिल्ड्रेन पैलेस में स्मार्ट क्लासेस बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नगर आयुक्त जी से अनुमति लेकर माडल माण्टेसरी स्कूल, माडल हाउस में भी स्मार्ट क्लासेस बनाये जाएगें।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों की सहमति पर व्यवस्था दी कि मद संख्या–1 पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प संख्या (74) :– सर्वसम्मति से पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि एक साल पहले कुछ कार्य अवस्थापना निधि और 14वें वित्त में स्वीकृति हुए थे। टेण्डर और वर्कआर्डर भी हो गये थे, लेकिन कार्य आज तक नहीं हुए। समाचार–पत्र दैनिक जागरण में खबर छपी है कि बिना सड़क बने ही भुगतान हो गये। पिछली बार श्री राजेश मालवीय जी ने कहा था कि उनके वार्ड में बिना कार्य हुए ही भुगतान हो गया। इस सम्बन्ध में भी आज तक सम्बन्धित नगर अभियन्ता का स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त किया गया। एक तरफ कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है दूसरी तरफ बिना कार्य हुए ही भुगतान हो रहा है। इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाए।

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि 23 जुलाई को जोन–2 के नगर अभियन्ता को स्पष्टीकरण दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया था।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक 31 जुलाई, 2018 को सम्पन्न हुई थी, उसके बाद कोई स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किया है तो वह दिखाएं।

नगर आयुक्त ने खेद प्रकट करते मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि इस तरह की स्थिति दुबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त श्री अमित कुमार को उक्त संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी नामित किया और कहा कि अगली बैठक में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि पूर्व में भी फर्जी पेमेन्ट हुए हैं। अधिकारियों द्वारा अपने अभियन्ताओं को बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जबकि इस तरह के कार्य अगर होते हैं तो तुरन्त सस्पेण्ड किया जाना चाहिए और जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि ईकोग्रीन कम्पनी के साथ हुए एग्रीमेन्ट में यह था कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जो पैसा आएगा वह नगर निगम कोष में जमा होगा। बहुत सारा पैसा वसूलने के लिए बहुत से आदमी लगाने पड़ेंगे, उनको पारिश्रमिक देना पड़ेगा। तो ईकोग्रीन कम्पनी बहुत सारे आदमी क्यों लगाए। जबकि ईकोग्रीन कम्पनी को तो प्रोसेसिंग का पैसा मिल ही रहा है। इस सम्बन्ध में लीगल ओपीनियन लेनी चाहिए कि ईकोग्रीन कम्पनी को बाउण्ड कैसे करें।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एग्रीमेन्ट के अनुसार डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का पैसा नगर निगम को मिलता है। प्रोसेसिंग का पैसा हम उनको देते हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अगर ईकोग्रीन कम्पनी अकस्मात धोखा दे देती है तो उस समय हम क्या करेंगे ? इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 14वें वित्त और अवस्थापना निधि से जो काम अभी तक नहीं हुए हैं वह शुरू होंगे या नहीं शुरू होंगे ?

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि समाचार–पत्र में छपा है कि गलत भुगतान हो गया है। 15 प्रतिशत बिलो टेण्डर हुए थे, टाइम बाउण्ड काम शुरू नहीं किया गया है। यह व्यवस्था की जाए कि अगर ठेकेदार काम विलम्ब से शुरू करता है तो पिनाल्टी लगेगी। काम पास हैं, काम शुरू होंगे, पैसा भी है। सभी नगर अभियन्ताओं को निर्देश दे दिए गये हैं कि सितम्बर लास्ट तक सारे काम पूर्ण हो जाने चाहिए। अगर ठेकेदार कार्य में विलम्ब करता है तो रु0 230/– प्रतिदिन पिनाल्टी लगाने का प्राविधान है।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 14वें वित्त और अवस्थापना निधि के कार्य अगर सितम्बर लास्ट तक शुरू नहीं होते हैं तो सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि बरसात में सड़कों का बुरा हाल हो गया है, कुछ सड़कों में जबरदस्त गढ्ढे हो गये हैं। इन सड़कों की मरम्मत/निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ? यदि वार्ड विकास प्राथमिकता राशि से ये सड़कें बनेंगी तो नई सड़कें रह जाएंगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से धन की मांग की जाएगी ? उत्तर प्रदेश सरकार ने रु0 180.00 करोड़ बरसात में जर्जर हुई सड़कों की मरम्मत के लिए पी0डब्लू0डी0 को दिया है। हम चाहते हैं कि बरसात में जर्जर/गढ्ढायुक्त हई सड़कों की मरम्मत हेतु उ0प्र0 सरकार से नगर निगम द्वारा पैसे की मांग की जाए।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि बरसात में सड़कों में गढ्ढे हो गये हैं। बरसात अभी बन्द नहीं है। बरसात में सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। बरसात बाद मेजरमेन्ट करके मार्किंग की जाएगी और सड़कों की मरम्मत करायी जाएगी।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

प्रति विधान सभा क्षेत्र में रु0 5.00 करोड़ से सड़कों की मरम्मत हेतु पी0डब्लू0डी0 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य दिया गया है। पी0डब्लू0डी0 द्वारा एन0ओ0सी0 मांगी गयी है। हम सी0आर0एफ0 में प्रस्ताव बनवा सकते है, जिसमें रेस्टोरेशन वर्क ही हो सकता है।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि लालकुँआ वार्ड में छितवापुर रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है। वहां की प्रिंसिपल कह रही थी कि इस जर्जर बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनायी जाए। इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव सदन की बैठक दिनांक 11.8.2018 के एजेण्डे में है। इस प्रस्ताव पर कार्यवाही शीघ्र आवश्यक है।

नगर आयुक्त ने कहा कि यह बेसिक शिक्षा विभाग का स्कूल है। स्कूल जर्जर है, कभी भी गिर सकता है।

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि भुगतान नहीं हो रहे हैं, इसलिए ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी सदस्यगण का अनुरोध है कि पार्षदगण की संस्तुति पर भी भुगतान होना चाहिए। दूसरे लोग दबाव बनाकर भुगतान करा लेते हैं। भुगतान की पालिसी जरूर तय की जाए। वार्ड विकास प्राथमिकता राशि से कराये गये विकास कार्यों का भुगतान जरूर होना चाहिए।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि पिछले वर्ष रु0 182.00 करोड़ की वसूली हुई थी। इस वर्ष भी अधिक से अधिक वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है। कुर्की आदि की भी कार्यवाही की जा रही है। नोटिसें जारी हुई हैं। लाइबिलिटी है तो करना ही पड़ेगा। वर्ष 2018–19 के लिए कहा गया है कि व्यवस्था बनायें, अन्यथा फिर लाइबिलिटी हो जाएगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मेरे विचार से 75 प्रतिशत नये कार्यों का और 25 प्रतिशत पुराने कार्यों का भुगतान किया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2017–18 के कार्यों का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि विकास कार्यों की जांच भी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष ने भी कहा कि वर्ष 2017–18 के कार्यों की जांच की जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने भी कहा कि मा0 पार्षदों से भी पूछा जाए कि क्या यह काम हुए हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों अपर नगर आयुक्त श्री अमित कुमार और श्री अनिल कुमार मिश्र तथा मुख्य अभियन्ता

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

को निर्देशित किया कि रेण्डम आधार पर 25 प्रतिशत पत्रावलियों निकाल का कार्यों की जांच करें, स्थलीय निरीक्षण करें।

श्री निशीथ मिश्रा ने कहा कि जिन पोलों पर पहले से लाइट नहीं लगी थी या जो खाली पोल हैं, उन पर ईईएसएल कम्पनी वाले लाइट नहीं लगा रहे हैं। जिन पोलों पर पहले से लाइटें लगी थी, केवल उन्हीं पर लाइट लगा रहे हैं।

मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0) ने आश्वासन दिया कि सर्वे कराकर लाइटें लगवायी जायेंगी।

श्री गो0 यादव ने कहा कि हमारे वार्ड में 21 सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनके स्थान पर सफाई कर्मचारी लगाए जाएं।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि 10–10 एल0ई0डी0 लाइटें मा0 पार्षदों को देने के लिए पूर्व में आश्वासन दिया गया था। मा0 पार्षदों की संस्तुति पर कम से कम 10–10 लाइटें अवश्य लगवाई जाएं।

श्री गो0 यादव ने कहा कि पार्षदगण अपनी संस्तुति राशि से पोल क्यों खरीदें।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि 50 लाइटें हर वार्ड में ई0ई0एस0एल0 वाले पार्षदों की संस्तुति पर लगाएं।

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि जो लाइटें बन्द हैं, वह हफ्तो ठीक नहीं होती हैं। शिकायत करने पर भी कोई ठीक करने नहीं आता है। कोई सक्षम स्तर के अधिकारियों के नम्बर नहीं हैं, जिस पर शिकायत करने पर लाइटें शीघ्र ठीक हो सकें।

मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0) ने अवगत कराया कि ई0ई0एस0एल0 कम्पनी के अधिकारी हमारे पास प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक दो घण्टे बैठते हैं। इस बीच आप हमें बता सकते हैं। वार्ड में जाकर हमारे और ईईएसएल कम्पनी के कर्मचारी लाइटें ठीक करेंगे। रोस्टर बनाया गया है कि किस वार्ड में किस दिन टीम जाएगी। सोमवार को मोबाईल नं0 एवं कर्मचारी के नाम सहित समय–सारिणी मा0 पार्षदों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री राज कुमार सिंह ने अनुरोध किया कि वार्डों की पतली गलियों में 25–25 लाइटें लगवायी जाएं।

श्री अजय दीक्षित ने मा0 पार्षद श्रीमती ज्योति शुक्ला का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के 10 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया :–

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष,
मा0 कार्यकारिणी समिति,
नगर निगम, लखनऊ।

(सयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

महोदया,

अवगत कराना है कि मेरे वार्ड डालीगंज निराला नगर के अन्तर्गत लाल कालोनी स्थित पंचायत भवन (शादी घर) जो अपूर्ण बना है, जिस पर कुछ लोग अवैध कब्जा भी किये हुए हैं। जिस कारण और भी क्षतिग्रस्त और जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उक्त पंचायत भवन (शादी घर) का निर्माण भारत के **यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की सांसद निधि से कराया गया था।** जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय जनता को कम खर्च में उक्त सामुदायिक घर उपलब्ध कराना था।

महोदया, उक्त पंचायत भवन (शादी घर) को विकसित कर जीर्णोद्धार कर एक हाल एवं बरामदे (लॉबी) का निर्माण कार्य कराया जाये एवं उपरोक्त का संचालन शहर में विभिन्न संचालित अन्य सामुदायिक केन्द्र की तरह इस पंचायत भवन (शादी घर) को भी नगर निगम के द्वारा संचालित किया जाये। जिससे श्रद्धेय अटल जी के सपने को पूर्ण किया जा सके और जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके व नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पंचायत भवन (शादी घर) को विकसित किये जाने व नगर निगम के द्वारा संचालित करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति से पास करने की कृपा करें।

भवदीया,
ह0/—
ज्योति शुक्ला
पार्षद

ह0/—
10 सदस्य,
मा0 कार्यकारिणी समिति

संकल्प संख्या (75) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि मेरा सुझाव है कि उक्त शादीघर का नामकरण श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से कर दिया जाए।

अध्यक्ष ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी बहुत बड़ी सख्शियत थे, उनके नाम पर बड़ा काम किया जाए। वे अक्सर विरोध से ऊपर उठकर राजनीति करने की सीख देते थे। उन्होंने हमेशा राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित को सोचा। वे विपक्ष की भी सराहना करते थे। सभी मा0 पार्षदों के लिए एक अटल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाए। ताकि सदन की बैठकें सुचारु रूप से संचालित हो सकें। अटल जी के व्यक्तित्व ने हमेशा अनुशासन सिखाया है। अटल जी के सम्बन्ध में और भी तमाम पत्र/सुझाव आए हैं। एजेण्डे में मेरा भी प्रस्ताव है कि शहर में एक बड़ा अटल स्मृति उपवन बनाया जाए। खाली पार्क बनाकर न छोड़ दें, बल्कि उसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का, उनकी कविताओं आदि का सिलालेख भी जगाया जाए, जिससे लोग कुछ ग्रहण कर सके। उनके नाम पर शहर में एक शादीघर, एक उपवन, एक डिग्री कालेज, एक अस्पताल, एक सड़क, एक चौराहा का नामकरण किया जाए।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि हम सभी लोग श्रद्धावनत हैं। शहर में सभी लोग चाहते हैं कि कोई कन्फ्यूजन की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए उनके नाम पर शहर में केवल एक सड़क, एक चौराहा, एक पार्क, एक भवन, एक डिग्री कालेज, एक अस्पताल का नामकरण किया जाए। उनके नाम पर शहर में कई सड़कें, कई पार्क नहीं होनी चाहिए। तमाम सुझावों के पत्र आए हैं, हम लोग आपको अधिकृत करते हैं कि सबको आप देखकर स्वयं निर्णय ले लें, सभी मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सहमति है।

संकल्प संख्या (76) :— सर्वसम्मति से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामकरण सम्बन्धी तमाम प्राप्त हुए सुझावों पर निर्णय लेने हेतु महापौर को अधिकृत किया गया।

श्रीमती रानी कनौजिया ने कहा कि कुड़ियाघाट के पास स्थित पार्क की दशा बहुत खराब है। रंगाई–पुताई करायी जाए। पार्क में प्रकाश व्यवस्था ठीक करायी जाए। वह पार्क अटल जी के नाम पर कर दिया जाए। रोड भी बहुत खराब है, रोड बनायी जाए। झोपड़ पट्टियों को हटाया जाए। भू–माफिया अवैध कब्जा किये हुए हैं, अवैध कब्जों को हटवाया जाए।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने सुझाव दिया कि बाटनीकल गार्डेन का नामकरण अटल जी के नाम पर किया जाए और चौराहे का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि बाटनीकल गार्डेन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है, उसका नामकरण हम लोग नहीं कर सकते हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की पूर्व में सम्पन्न बैठक दिनांक 31.07.2018 में संकल्प संख्या (70) द्वारा सर्वसम्मति से हाऊस टैक्स/जलकर पर पूर्व की भाँति 10 प्रतिशत दी जाने वाली छूट की समय सीमा दिनांक 31.08.2018 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मेरा प्रस्ताव है कि यह 10 प्रतिशत दी जाने वाली छूट की समय सीमा दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ा दी जाए।

संकल्प संख्या (77) :— सर्वसम्मति से हाऊस टैक्स/जलकर पर पूर्व की भाँति 10 प्रतिशत दी जाने वाली छूट की समय सीमा दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष ने कहा कि हाऊस टैक्स/जलकर में 30.09.2018 तक 10 प्रतिशत छूट दी जाए और कैम्प भी लगवाए जाएं, जिससे कि वसूली बढ़ सके।

श्रीमती सुनीता सिंघल ने कहा कि पेवर की सड़क बनने से पूर्व मेनहोल के ढक्कन ऊपर करवा दिए जाएं, ताकि पेवर की सड़क बनने पर मेनहोल के ढक्कन नीचे न हो जाएं। नीचे हो जाने से टूट जाते हैं और नागरिकों को आवागमन में भी असुविधा होती है।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि श्रीमती सुनीता सिंघल के उक्त सुझाव पर कार्यवाही हो।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मद संख्या (2) :— मुरली चौक स्थित शंकर जी की मूर्ति से के०के० पैलेस होते हुए त्रिवेणिक स्माल रोड (तिकोना नगर रोड) का नामकरण **"श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी मार्ग"** किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश चौहान, मा0 पार्षद, लोहिया नगर वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.08.2018 पर नगर आयुक्त जी के निर्देश दिनांक 24.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—2)**

संकल्प संख्या (78) :— सर्वसम्मति से पूर्व पारित संकल्प संख्या—76 से सम्बद्ध किया गया।

मद संख्या (3) :— तिकोना नगर स्थित पावरहाउस चौराहे का नामकरण श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम पर **"अटल चौक"** एवं अटल जी की मूर्ति लगवाने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश चौहान, मा0 पार्षद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.08.2018 पर नगर आयुक्त जी के निर्देश दिनांक 24.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—3)**

संकल्प संख्या (79) :— सर्वसम्मति से पूर्व पारित संकल्प संख्या—76 से सम्बद्ध किया गया।

मद संख्या (4) :— तिकोना नगर सेक्टर—4 स्थित सामुदायिक केन्द्र का नामकरण **"श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई जी"** के नाम पर करने के सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश चौहान, मा0 पार्षद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.08.2018 पर नगर आयुक्त आयुक्त जी के निर्देश दिनांक 24.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—4)**

संकल्प संख्या (80) :— सर्वसम्मति से पूर्व पारित संकल्प संख्या—76 से सम्बद्ध किया गया।

मद संख्या (5) :— ललित मोहन शुक्ला, गैंगमैन, जोन—3 का लखनऊ कैंसर इन्सटीट्यूट से उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती माण्डवी शुक्ला द्वारा अपने पति के उपचार में व्यय धनराशि धनांक ₹2,25,820/— मात्र की प्रतिपूर्ति एवं श्रीमती माण्डवी शुक्ला के पक्ष में भुगतान किये जाने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी की आख्या पर अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 09.07.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति विचार। **(परिशिष्ट—5)**

संकल्प संख्या (81) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (6) :— श्री शशि भूषण भारती, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के सेवानिवृत्त अपर नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ के अजन्ता अस्पताल, लखनऊ से अपने किडनी रोग के उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति ₹6,67,970/—(रुपये छः लाख सरसठ हजार नौ सौ सत्तर)मात्र के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 सदन की विशेष बैठक दिनांक 29.03.2018 की कार्यवाही में मद संख्या—6 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पारित संकल्प संख्या—8 द्वारा अपर नगर आयुक्त श्री नन्दलाल सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी तीन सदस्यों की समिति गठित करते हुए रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त जाँच समिति की आख्या के प्रस्ताव पर मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 31.05.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट—6)**

संकल्प संख्या (82) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मद संख्या (7) :– उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–107(4) के अन्तर्गत अकेन्द्रीयत सेवा की नियुक्तियां/पदोन्नतियां चुनाव करने वाली समिति हेतु सदस्य नामोदि्दष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी(अधि0) द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 27.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट–7)**

संकल्प संख्या (83) :– सर्वसम्मति से श्री महत्तम यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को सदस्य नामोदि्दष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (8) :– प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0)निर्माण हेतु नगर निगम में निहित भूमि का उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में पुनर्ग्रहण हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट–8)**

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि जमीन काफी मांगी जा रही है। क्या यह जमीन हमारे लिए निष्प्रयोज्य है ?

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि शासनादेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में है। शासन को एन0ओ0सी0 दी जा सकती है।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि हम इस तरह से जमीन देते रहेंगे तो हमारे पास जमीन बचेगी ही नहीं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम की क्या भागीदारी होगी ? जितनी कास्ट मकान में लगनी है, जनता से ले रहे हैं। रु0 2.50 लाख सरकार दे रही है, बाकी पैसा जनता देगी। जमीन नगर निगम की है, भागीदार सुनिश्चित होनी चाहिए। जनहित में जमीन तो देनी पड़ेगी या फिर नगर निगम की कोई योजना लम्बित हो। अगर कोई योजना उस जमीन पर लम्बित नहीं है तो जमीन देनी पड़ेगी। नगर निगम के कर्मचारी भी आवास लेना चाहें, पार्षद अपनी संस्तुति करना चाहे, इस तरह की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि दो टुकड़ों में नगर निगम आवास बनाए और एक टुकड़ा दे दीजिए। नगर निगम स्वयं आवास बनाएं या फिर इस मद को पास किया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि सर्वे हो चुका है। आवास विकास परिषद या लखनऊ विकास प्राधिकरण आवास बनाए या फिर नगर निगम आवास बनाए। नगर निगम की भागीदारी उस शासनादेश में नहीं है। दुर्बल आय वर्ग में हम डूडा से कह सकते हैं। मेरा सुझाव है कि तीन जमीने हैं–अमराईगांव, जाहिरपुर और अमौसी। एक जमीन दी जा सकती है, क्योंकि दो पर हमारी योजनाएं लम्बित हैं।

तहसीलदार/एस0डी0एम0 श्री देश दीपक सिंह ने कहा कि अमराईगांव और अमौसी की जमीन पर नगर निगम की योजना लम्बित है। जाहिरपुर की जमीन दी जा सकती है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (84) :– सर्वसम्मति से अमराई गांव एवं अमौसी की जमीन को रोकते हुए जाहिरपुर की जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में एन0ओ0सी0 दिए जाने का निर्णय लिया गया।

श्री अजय दीक्षित ने सुझाव दिया कि अमौसी की जमीन को इण्डस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया जाए और पार्षदों की संस्तुति पर भी आवण्टन किया जाए।

अध्यक्ष ने भोजन अवकाश के लिए बैठक की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की।

अध्यक्ष ने भोजन अवकाश के पश्चात् बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

मद संख्या (9) :– स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा के नाम से ग्राम कनौसी, तहसील व जिला लखनऊ की खसरा संख्या–1979 की भूमि कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हेतु उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–9)

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम हित में इस जमीन का क्या उपयोग किया जा सकता है ? विचार कर लिया जाए। पत्रावली अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि कन्या इण्टर कालेज की स्थापना का प्रस्ताव जनहित में है। शिक्षक होने के नाते मैं अुनरोध करूँगा कि कन्या इण्टर कालेज की स्थापना होनी चाहिए। जमीन दी जा सकती है।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नगर निगम हित में ग्राम कनौसी, तहसील व जिला लखनऊ की खसरा संख्या–1979 की भूमि का क्या बेहतर उपयोग हो सकता है, विभागीय आख्या सहित पत्रावली अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

संकल्प संख्या (85) :– सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार विभागीय आख्या सहित पत्रावली अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (10) :– श्री चन्द्र शेखर पाण्डेय, सेवानिवृत्त, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्सटीट्यूट, नोयडा से अपने हृदय रोग का उपचार कराये जाने के उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनांक ₹ 4,81,892/– मात्र के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

(परिशिष्ट–10)

संकल्प संख्या (86) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (11) :– श्री ई गणेश चन्द्रा, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ द्वारा लाईफ लाईन हास्पिटल निजी चिकित्सालय, हैदराबाद से उपचार कराये जाने

(संयुक्ता माटिया)
महापौर
निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

के उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनांक ₹7,66,631/— मात्र के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 21.11.2017 पर विचार।

(परिशिष्ट—11)

संकल्प संख्या (87) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (12) :— अभिषेकपुरम, वशिष्ठपुरम, प्रगति बिहार, सरस्वतीपुरम एवं अलीशानगर कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 31.07.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट—12)

संकल्प संख्या (88) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (13) :— आशियाना स्थित पावर हाउस चौराहे का नामकरण **"अहिंसा चौक"** कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिगम्बर जैन सेवा समिति लखनऊ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 24.07.2018 के क्रम में मुख्य अभियन्ता की आख्या दिनांक 27.08.2018 के तहत प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(परिशिष्ट—13)

उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व सम्पन्न मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 में आम्रपाली बाजार के निकट गोल चौराहे का नामकरण **"अहिंसा चौक"** स्वीकृत किया जा चुका है। अतः अहिंसा चौक के नाम से किसी अन्य चौराहे का नाम नियमानुसार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बन्ध में श्री विमल तिवारी, पार्षद, विद्यावती प्रथम वार्ड का छः मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :—

मा0 अध्यक्ष,

मा0 कार्यकारिणी समिति,

<u>विषयः</u> पावर हाउस चौराहा, आशियाना, लखनऊ का नामकरण ''तीर्थंकर स्वामी चौक'' किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन है कि दिगम्बर जैन सेवा समिति की माँग व जनहित को ध्यान में रखते हुए पावर हाउस चौराहे, आशियाना, कानपुर रोड, लखनऊ का नामकरण ''तीर्थंकर स्वामी चौक'' के नाम से किया जाय।

जैन समाज के निवेदन पर विचार कर प्रस्ताव पास करने की कृपा करें।

ह0/—
06 सदस्य, मा0 कार्यकारिणी समिति

ह0/—
विमल तिवारी, पार्षद

संकल्प संख्या (89) :— सर्वसम्मति से आशियाना स्थित पावर हाउस चौराहे का नामकरण **"तीर्थंकर स्वामी चौक"** के नाम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर

Scanned by CamScanner

मद संख्या (14) :– श्रीमती मंजू श्रीवास्तव, पत्नी स्व0 गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, पारिवारिक पेंशनर एवानीग निकाय निवेशालय द्वारा अपना उपचार निजी चिकित्साकों, इन्स्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बॉयलरी साइंसेस, नई दिल्ली से कराये जाने के उपरान्त कुल व्यय धनराशि ₹2,43,160/– की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 21.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट–14)**

संकल्प संख्या (90) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (15) :– नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित तकनीकी टीम के लिये गये निर्णय/संस्तुति के अनुसार जल निगम के वित्तीय वर्ष 2017–18 के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु ₹3085.75 लाख का भुगतान किया जाना है। उपरोक्त के क्रम में एक मुश्त भुगतान किया जाना सम्भव न हो पाने की स्थिति में फिलहाल ₹200/–लाख (रुपये 2 करोड़) महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ को नगर निगम निधि से भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की आख्या दिनांक 07.08.2018 पर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 08.08.2018 पर मा0 महापौर जी के निर्देश दिनांक 09.08.2018 द्वारा प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट–15)**

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि यह प्रस्ताव मा0 सदन की बैठक दिनांक 11.08.2018 में निरस्त किया जा चुका है। इसको मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष क्यों प्रस्तुत किया गया ? मा0 सदन में निरस्त किये जा चुके प्रस्ताव को छः माह तक पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अधिनियम के विपरीत कोई काम न हो।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि यह प्रस्ताव प्रथम बार मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया गया है, मा0 सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त में देख लिया जाए, यदि सदन में उक्त प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया गया था तो इस प्रस्ताव को मा0 सदन को संदर्भित किया जाता है।

संकल्प संख्या (91) :– सर्वसम्मति से प्रस्ताव मा0 सदन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (16) :– नगर निगम की अक्रियाशील अथवा बन्द डिस्पेंशरियों को क्रियाशील कराकर चिकित्सा/स्वास्थ्य सुविधायें नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने एवं नगर निगम डिस्पेंशरी, गणेशगंज को राजकीय भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में पर्यावरण अभियन्ता/नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21.08.2018 पर अपर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 24.08.2018 पर विचार।

(परिशिष्ट–16)

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (92) :— सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल खाली करना पड़ेगा।

मद संख्या (17) :— अविवाहित पदक विजेता, शहीद सैनिकों के माता, पिता को गृहकर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 27.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—17)**

संकल्प संख्या (93) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (18) :— इस्माईलगंज नगर निगम डिग्री कालेज का नामकरण "अटल बिहारी बाजपेयी डिग्री कालेज" किये जाने के सम्बन्ध में नगर अभियन्ता(7) की आख्या पर नगर आयुक्त के आदेश दिनांक27.08.2018 पर विचार। **(परिशिष्ट—18)**

संकल्प संख्या (94) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (19) :— उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438(1) के प्राविधानानुसार लखनऊ नगर निगम में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बधन और शर्तो के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रसारित आदेश सं0—386/पी0/पर्या0अभि0/न0अ0 दिनांक 03.02.2018 के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई नियमावली(गाइड लाइन्स)2018 मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 में पारित संकल्प संख्या—42 द्वारा अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत। **(परिशिष्ट—19)**

संकल्प संख्या (95) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या (20) :— श्री एम0पी0श्रीवास्तव, उ0प्र0पालिका(केन्द्रीयित)सेवा के अवर अभियन्ता, अभियंत्रण विभाग, जोन—2, नगर निगम लखनऊ के निजी चिकित्सालय अजन्ता अस्पताल, लखनऊ से अपने किडनी रोग के उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनांक ₹2,36,790/— मात्र के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट—20)**

संकल्प संख्या (96) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (21) :— श्री मिर्जा इरशाद बेग, लिपिक, फण्ड अनुभाग की माता जी श्रीमती सुरैया का उपचार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से कराये जाने हेतु दिये गये चिकित्सा अग्रिम धनांक ₹1,87,500/— मात्र के समायोजन एवं चिकित्सा में व्यय अतिरिक्त धनराशि ₹1,28,680/— के भुगतान के सम्बन्ध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार। **(परिशिष्ट—21)**

संकल्प संख्या (97) :— सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

मद संख्या (22) :– नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नगर निगम की भूमि पर "अटल स्मृति उपवन" बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी के प्रस्ताव पर विचार। **(परि0–22)**

संकल्प संख्या (98) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि 25 लाइटें मंदिर–मस्जिद–गुरुद्वारा–चर्च आदि के पास पार्षदों की संस्तुति पर लगायी जाएं।

नगर आयुक्त ने कहा कि ई0ई0एस0एल कम्पनी के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ है, पहले वह पूरा हो जाए, उसके बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि प्रार्थीगण रामपाल सिंह, उदय प्रताप सिंह, राजकरण सिंह व लल्लन सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण स्व0 गयाबक्श सिंह, निवासी–हैवतमऊ मवैया लखनऊ के मूल निवासी हैं। पूर्व में नगर निगम द्वारा जांच की गयी थी, गलत पाया गया। इनकी जमीन वापस की जाए। उन्होंने उक्त प्रार्थीगण का पत्र निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया :–

सेवा में,

मा0 महापौर,
लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ

महोदया,

सविनय निवदेन है कि प्रार्थीगण रामपाल सिंह, उदय प्रताप सिंह, राजकरण सिंह व लल्लन सिंह, राजपाल सिंह पुत्रगण स्व0 गयाबक्श सिंह, निवासी–हैवतमऊ मवैया लखनऊ के मूल निवासी हैं। प्रार्थीगण की पैतृक भूमि खसरा सं0–1899, क्षेत्रफल 0.019 हे0 भूमि स्थित ग्राम–हैवतमऊ मवैया तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ में भूमिधरी दर्ज है। उपरोक्त भूमि को ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लखनऊ ने अवैधानिक रूप से नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया था। प्रार्थी ने श्रीमान नगर आयुक्त को इसके सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र दिया था। जांचोपरान्त ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लखनऊ द्वारा हस्तान्तरण को गलत पाया गया।

जांपोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या–1899, क्षेत्रफल–0.019 हे0 समिति के नाम दर्ज न होने के बावजूद समिति द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी, चूंकि प्रार्थीगण की भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित की गई भूमि के मध्य स्थित है, जिसके कारण नगर निगम द्वारा कोई योजना सुगमतापूर्वक संचालित कराया जाना कदाचित सम्भव नहीं है। इसलिये नगर निगम के कब्जे वाली भूमि में से खसरा सं0–1900 में 40'X50'9'' कुल 2036 वर्गफुट भूमि प्रार्थीगण को उपलब्ध करायी जा सकती है।

जांचोपरान्त उपरोक्त प्रकरण का अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्ताव नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(संयुक्ता भाटिया)

Scanned by CamScanner

अतः महोदया से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण को अनुमोदनार्थ नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन में प्रस्तुत करने हेतु, सम्बन्धित अधिकारी को आदेश देने की कृपा करें।

दिनांक 31.08.2018

प्रार्थीगण
ह0/-
उदय प्रताप सिंह
राम पाल सिंह, राजकरण सिंह,
लल्लन सिंह, राजपाल सिंह
पुत्रगण स्व0 गयाबक्श सिंह,
निवासी—हैदलमऊ मवैया, लखनऊ

मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उक्त के सम्बन्ध में परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अन्य प्रस्ताव (1) :– अध्यक्ष की अनुमति से श्रीमती विनीता सिंह, पार्षद का पत्र बावत् स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में न्यू हैदराबाद स्थित अति दयनीय स्थिति में हो गये कल्याण मण्डप का सुधार कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त कल्याण मण्डप का लोकार्पण भी स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा किया गया था।

संकल्प संख्या (99) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव (2) :– अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम पारा में खसरा संख्या—1672, 1684, 1686, 1689, 1691, 1696, 1766, 1770, 1771 एवं 1772 की भूमि पर प्रस्तावित आवासी योजना का नाम **"अटल आवासीय योजना (भाग—अ)"** किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत मुख्य अभियन्ता की विभागीय आख्या दिनांक 25.08.2018 पर अपर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 28.08.2018 एवं नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

संकल्प संख्या (100) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव (3) :– अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम पारा में खसरा संख्या—2830, 2832, 2833, 2835, 2838, 2840, 2841, 2842, 2843 एवं 2844 की रिक्त पड़ी भूमि पर बहुमंजिला आवासीय, आवासीय डुप्लेक्स व व्यावसायिक विकास/निर्माण योजना की भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना का नाम **"अटल आवासीय योजना (भाग—ब)"** किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत मुख्य अभियन्ता की विभागीय आख्या दिनांक 25.08.2018 पर अपर नगर आयुक्त की संस्तुति दिनांक 28.08.2018 एवं नगर आयुक्त की संस्तुति पर विचार।

संकल्प संख्या (101) :– सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव (4) :– अध्यक्ष की अनुमति से फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सिन्हा कालोनी, श्याम बिहार कालोनी, गणेश बिहार कालोनी, राम बिहारकालोनी एवं

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर

Scanned by CamScanner

फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत गायत्री नगर, नौबस्ता खुर्द, हरिओम नगर में सड़कों एवं नालियों के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :–

मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ प्रस्ताव

विषय :– फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सिन्हा कालोनी, श्याम बिहार कालोनी, गणेश बिहार कालेनी, राम बिहारकालोनी एवं फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड के अन्तर्गत गायत्री नगर, नौबस्ता खुर्द, हरिओम नगर में सड़कों एवं नालियों के निर्माण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में।

सारांश :– कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा जी, मा0 विधायक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 28.08.2018 जो उपर्युक्त वार्डो की विभिन्न कालोनियों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने हेतु 31 अगस्त, 2018 को नगर निगम, लखनऊ की होने वाली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपरोक्त के प्रस्तावों का पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु अनमोदन कराने हेतु लिखा गया है।

विभागीय आख्या :– उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उल्लिखित कालोनियां फैजुल्लागंज द्वितीय एवं चतुर्थ के अन्तर्गत आती हैं, यह कालोनियां अनियोजित एवं अवैध तरीके से प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा छोटे–छोटे भूखण्ड बेचकर बसाई गयी हैं, जिनका भू–विन्यास/तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है और न ही प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा सौन्दर्यीकरण का विकास शुल्क ही लखनऊ विकास प्राधिकरण मं जमा कराया गा है। ऐसी स्थिति में इन कालोनियों में विकास कराये जाने हेतु डा0 नीरज बोरा जी, मा0 विधायक जी के पत्र के क्रम में फैजुल्लागंज–प्रथम, तद्वतीय, तृतीय, चतुर्थ, त्रिवेणीनगर, जानकीपुरम प्रथम एवं द्वितीय हेतु धनांक रु0 588.98 लाख का प्रस्ताव पत्र संख्या–डी–365/एन0ए0 (एस0)–3, दिनांक 08.08.2018, जानकीपुरम प्रथम, द्वितीय, अलीगंज, अयोध्यादास, मनकामेश्वर, फैजुल्लागंज द्वितीय एवं लाला लाजपत राय वार्डो के विकास हेतु धनांक रु0 535.69 लाख का प्रस्ताव पत्र संख्या–डी–396/एन0ए0 (एस0)–3, दिनांक 16.08.2018एवं फैजुल्लागंज चतुर्थ के हरिओम नगर, शिवनगर आदि मोहल्लों की सड़क, नाली निर्माण का प्रस्ताव धनांक रु0 103.30 लाख का पत्र संख्या–डी–426/एमसी/एन0ए0 (एस0)–3, दिनांक 25.08.2018 को समग्र विकास योजना के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृति उपरान्त इन क्षेत्रों के विकास कार्य कराये जायेंगे। जहां तक प्रश्न है इन कालोनियों में विकाय कार्य कराये जाने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण लेने का, तो इस

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन से स्वीकृति प्राप्त किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ह0/—
नगर अभियन्ता(सा0)—3
दिनांक 30.08.2018

संकल्प संख्या (102) :— सर्वसम्मति से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव (5) :— अध्यक्ष की अनुमति से लखनऊ स्थित चिनहट का नाम बदलकर ''शहीदनगर'' किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत मुख्य अभियन्ता की आख्या दिनांक 30.08.2018 पर विचार।

संकल्प संख्या (103) :— सर्वसम्मति से निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव (6) :— अध्यक्ष की अनुमति से नामकरण के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, मा0 पार्षद द्वारा प्रेषित निम्न प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:—

<u>प्रस्ताव</u>

क्षेत्रीय स्थानीय नागरिकों की मांग है कि इन्दिरा नगर के ए—1040 के आगे ए ब्लाक गोल चौराहे (आंख के अस्पताल के निकट) का नामकरण आजादी के नायक शहीद—ए—आजम भगत सिंह के नाम से या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से कर दिया जाये। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त वर्णित चौराहे का नाम स्थानीय नागरिकों की मांग के अनुरूप **''भगत सिंह चौक''** कर दिया जाये।

संकल्प संख्या (104) :— सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव (7) :— अध्यक्ष की अनुमति से कैसरबाग स्थित चकबस्त में बन रहे नगर निगम के भवन का नाम ''श्रद्धेय स्व0 अटल बिहार बाजपेई जी'' के नाम से ''अटल भवन'' के नामकरण के सम्बन्ध में विभागीय आख्या निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी :—

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ आख्या</u>

विषय :— कैसरबाग स्थित चकबस्त में बन रहे नगर निगम के भवन का नाम ''श्रद्धेय स्व0 अटल बिहार बाजपेई जी'' के नाम से ''अटल भवन'' के नामकरण के सम्बन्ध में।

विभागीय आख्या :— कृपया श्री रमेश कूपर ''बाबा'' मा0 पार्षद जी द्वारा कैसरबाग स्थित चकबस्त में बन रहे नगर निगम के भवन का नाम ''श्रद्धेय स्व0 अटल बिहारी बाजपेई जी'' के नाम से ''अटल भवन'' के नामकरण किये जाने हेतु पत्र प्राप्त कराया गया है। उपरोक्त के क्रम में उक्त नामकरण

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

ह0/—
नगर अभियन्ता(सा0)—3
दिनांक 29.08.2018

नगर आयुक्त के आदेश : मा0 कार्यकारिणी समिति में रखें।

ह0/—
नगर आयुक्त

मा0 सदस्यों ने कहा कि नगर निगम के भवन का नाम नगर निगम ही रहने दिया जाए।

संकल्प संख्या (105) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव (8) :— अध्यक्ष की अनुमति से नगर निगम के कैसरबाग स्थित मछली मण्डी स्थल पर भूमिगत पार्किंग व व्यावसायिक स्थल विकास का कार्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के वित्त पोषण के अन्तर्गत कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नवत् मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :—

विषय :—नगर निगम के कैसरबाग स्थित मछली मण्डी स्थल पर भूमिगत पार्किंग व व्यावसायिक स्थल विकास का कार्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के वित्त पोषण के अन्तर्गत कराये जाने सम्बन्धी मा0 समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

<u>प्रस्ताव</u> :

कैसरबाग चौराहे के समीप स्थित नगर निगम के मछली मण्डी स्थल पर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अर्न्तत कैसरबाग चौराहे के समीप स्थित नगर निगम के मछली मण्डी स्थल पर भूमिगत पार्किंग के विकास हेतु स्मार्ट सिटी निधि का प्राविधान किया गया है।

वर्तमान में मछलीमण्डी को दुबग्गा स्थित नवीन मछली मण्डी में स्थानान्तरित कर दिये जाने के पश्चात् वर्तमान भवन मछली मण्डी के प्रयोग में नहीं है। इस स्थल पर मौजूद मण्डी भवन को ध्वस्त करते हुए इसके स्थान पर पी0पी0पी0 अथवा छिजाइन—बिल्ड (ई0पी0सी0) आधार पर भूमिगत पार्किंग एवं व्यावसायिक भवन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/—
परियोजना प्रबन्धक

ह0/—
मुख्य अभियन्ता

ह0/—
नगर आयुक्त

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

संकल्प संख्या (106) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव (9) :— अध्यक्ष की अनुमति से आर0आर0 विभाग द्वारा निगम के राजस्व वृद्धि हेतु लखनऊ महानगर के अन्तर्गत एकत्रित मलबा, निजी संस्था में एकत्रित कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रक, हाईवा, जल छिड़काव हेतु टैंकर व सामाजिक कार्यक्रमों हेतु सचल शौचालय की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :—

प्रस्ताव

आर0आर0 विभाग द्वारा निगम के राजस्व वृद्धि हेतु लखनऊ महानगर के अन्तर्गत एकत्रित मलबा, निजी संस्था में एकत्रित कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रक, हाईवा, जल छिड़काव हेतु टैंकर व सामाजिक कार्यक्रमों हेतु सचल शौचालय उपलब्ध कराते हुए निगम के राजस्व की वृद्धि किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा वर्ष 2008—09 में प्रश्नगत कार्यों के निमित्त दरों का निर्धारण मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से अनुमोदित कराते हुए दरों का निर्धारण किया गया था, परन्तु वर्तमान में ईंधन की दरों में काफी वृद्धि हो जाने के कारण उक्त कार्यों के निमित्त निर्धारित दरों में वृद्धि किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। वर्ष 2008—09 में मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित दरों का विवरण निम्न है :—

क्र0सं0	कार्यों के निमित्त प्रयुक्त होने वाले वाहन का नाम	वर्तमान में प्रभावी दर	प्रभावी करायी जाने वाली दर
1	सचल शौचालय	2500.00 प्रति दिवस	5000.00 प्रति दिवस
2	जल छिड़काव हेतु टैंकर	1200.00 प्रति टैंकर	5000.00 प्रति टैंकर
3	टिपर ट्रक	400.00 प्रति ट्रक	1200.00 प्रति ट्रक
4	हाईवा	1200.00 प्रति हाईवा	3600.00 प्रति हाईवा

अतः उपरोक्त वर्णित दरों से अवलोकित होते हुए निगम हित में राजस्व में वृद्धि किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

ह0/—
मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ0)

ह0/—
नगर आयुक्त

संकल्प संख्या (107) :— सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि श्री विजय कुमार गुप्ता ने प्रश्न उठाया था कि हर जोन में सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया जाए। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि सभी जोनों में हर पटल पर नेमप्लेट लगायी जाए, जिसमें आवण्टित कार्य भी लिखा जाए। सामने—सामने इण्टरफेस होना चाहिए, ताकि बीच का सिस्टम बन्द हो। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। क्योंकि म्यूटेशन और प्रापर्टी टैक्स की हर जोन में समस्या है। सिंगल विण्डो सिस्टम से व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। आनलाइन

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

समस्याओं का भी निस्तारण होगा। इससे जनता को सुविधा मिलेगी। लेकिन इस व्यवस्था में अभी दो माह लगेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि लोक मंगल दिवस में शिकायतें आ रही हैं, इनके निस्तारण हेतु किसी सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए।

नगर आयुक्त ने लोक मंगल दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण कराने हेतु अपर नगर आयुक्त श्री अमित कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि डेरियों को चिह्नित करके शहर से बाहर किया जाए। सांड़, गाय एवं आवारा पशु रोड पर घुमते रहते हैं, इससे दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इन्हें पकड़वाया जाए और सख्ती से कार्यवाही की जाए।

संकल्प संख्या (108) :— सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अवैध डेरियों, सांड़ एवं आवारा पशुओं को अभियान चलाकर नगर निगम सीमा से बाहर किया जाए व इनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया कि रात्रि काल में भी मृत जानवर—कुत्ता, बिल्ली आदि उठाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

बैठक के अन्त में सभी उपस्थितिगण द्वारा खड़े होकर स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की आत्मा की चिर—शान्ति हेतु दो मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की बैठक समाप्त की जाती है।

(संयुक्ता भाटिया)
अध्यक्ष/महापौर
मा0 कार्यकारिणी समिति।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner